फा.सं. 24/2/2019-सा.प्रशासन

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक संख्या 11 एवं 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक 29 मार्च, 2019

निविदा सूचना

विषय :- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में सरकारी उपयोग के लिए डीएलवाई कारें भाड़े पर लेना- निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

दीपम, वित्त मंत्रालय द्वारा, अपनी मासिक और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए डीएलवाई टैक्सियां, वातानुकूलित कारें भाडे पर लेने के लिए, इस सूचना के साथ संलग्न अनुबन्धों के अनुसार, दो-बोली प्रणाली के अधीन सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :

1. बोलीदाताओं के लिए अनुदेश **अनुबन्ध-I** में दिए गए हैं।
2. निबन्धन एवं शर्तें **अनुबन्ध-II** में दी गई हैं।
3. दंडात्मक अनुसूची **अनुबन्ध-III** में दी गई है।
4. डीएलवाई टैक्सियों की मासिक आधार पर [प्रति सप्ताह 7 दिन हेतु मासिक प्रभार (2,000 कि. मी. प्रति माह और 300 घन्टे प्रति माह)] आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन्स हेतु प्रोफॉर्मा **अनुबन्ध-IV** में दिया गया है।
5. डीएलवाई टैक्सियों की दैनिक आधार पर आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन्स का प्रोफॉर्मा अनुबन्ध-V में दिया गया है।
6. सेवा प्रदाता द्वारा वचनबद्धता **अनुबंध-VI** में दी गई है।
7. तकनीकी बोली हेतु मदों की सूची **अनुबंध-VII** में दी गई है।

निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख : 22 अप्रैल, 2019, दोपहर 12:00 बजे तक
निविदा खोलने की तारीख एवं समय : 22 अप्रैल, 2019, अपराह्न 03:00 बजे

(अशफाक अली रिज़वानी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24360163

सेवा में,

एनआईसी को यह निविदा इस विभाग की वेबसाइट तथा सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

संलग्नक: अनुबंध-I, II, III, IV, V, VI तथा VII

फा.सं. 24/2/2019-सा.प्रशा.

अनुबंध-I

अनुदेश

विषय :- निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए डीएलवाई टैक्सियां (वातानुकूलित) दर अनुबन्ध पर भाड़े पर लेने के लिए निविदा सूचना।

1. इस विभाग के उपयोग के लिए मासिक तथा दैनिक आधार पर डीएलवाई टैक्सियां (वातानुकूलित) उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे पंजीकृत ट्रांसपोर्टरों द्वारा सीलबन्द निविदाएं, संलग्न निर्धारित प्रोफॉर्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिएं। उक्त अनुबन्ध आरम्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए है जिसे संतोषजनक कार्य निष्पादन के अध्यधीन वर्ष-दर-वर्ष पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2. कोटेशन्स, अनुबन्ध-IV और V में निर्धारित प्रोफॉर्मा के अनुसार, सीलबंद लिफाफों में, जिनके ऊपर "डीएलवाई टैक्सियां (वातानुकूलित) उपलब्ध कराने हेतु बोलियां" लिखा हो, जो अधोहस्ताक्षरी को संबोधित हों, अधिकतम **22** अप्रैल, **2019** को दोपहर **12:00** बजे तक ब्लॉक संख्या **14**, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-**110003** के भूतल पर रखे टेंडर बॉक्स में डाल दी जाएं। इन्हें डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है ताकि वे निर्धारित तारीख और समय पर अधोहस्ताक्षरी के पास पंहुच जाएं।

3. निविदा खोलने की तारीख में विस्तार के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन्स, धरोहर राशि के रूप में डीडीओ, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित **डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चैक** के रूप में **50,000** रुपये (पचास हजार रु. मात्र) की राशि के साथ भेजी जानी चाहिएं। सरकारी निदेशों के अनुसार एमएसएमई विक्रेताओं को संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट है।

4. उद्धृत दर में वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं होना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान अतिरिक्त तौर पर वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा। यदि संचालक वैध वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया जाएगा। संचालक द्वारा अंतिम आय कर निर्मुक्ति प्रमाण-पत्र और पैन नं. प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित है।

5. बोलीदाता को दिल्ली में पंजीकृत तथा सुस्थापित ट्रांसपोर्ट एजेंसी/फर्म होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण जैसे कि पंजीकरण संख्या, टीआईएन नंबर, पैन नंबर, वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या आदि निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। बोलीदाता के पास सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को टैक्सी की आपूर्ति करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

6. निविदाकर्ता को ठेका दिए जाने के लिए निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों की एक हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी चाहिए जिससे इन निबंधनों एवं शर्तों के प्रति उसकी स्वीकृति की जानकारी मिलती है।

7. यदि किसी निविदा का चयन कर लिया जाए और उसे विभाग की सहमति के बिना बोलियों से वापस ले लिया जाए तो उसकी धरोहर राशि जब्त की जा सकती है। एल-1 निविदा का चयन एजेंसियों द्वारा उद्धृत दरों पर आधारित होगा, जैसा कि अनुबन्ध-IV [प्रति सप्ताह 7 दिन हेतु मासिक प्रभार (2,000 कि. मी. प्रति माह और 300 घन्टे प्रति माह)], अनुबन्ध-V (दैनिक आधार पर प्रभार) में अपेक्षित है।

8. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पास किसी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस बारे में विभाग का निर्णय अंतिम और फर्म के लिए बाध्यकारी होगा।

9. इस मामले में कोई स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी/अनुभाग अधिकारी से टेलीफोन नंबर **24360163/ 24368528** से प्राप्त किया जा सकता है।

10. सफल निविदाकर्ता को इस पेशकश की स्वीकृति के पत्र के साथ उसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्रस्तावित सभी कारों की एक सूची प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उनके मेक, पंजीकरण संख्या, मॉडल और प्रत्येक कार द्वारा प्रयुक्त ईंधन के प्रकार का ब्यौरा दिया गया हो।

11. सीलबंद कोटेशन निर्धारित तारीख और समय पर एक समिति द्वारा खोली जाएगी। अधिकृत प्रतिनिधि, जिसके पास कंपनी का विधिवत अधिकरण पत्र हो, निविदा खुलने के समय मौजूद रह सकता है।

12. फैक्स द्वारा भेजी गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाओं की विलंब से प्राप्ति/गैर प्राप्ति के बारे में किन्हीं जटिलताओं से बचने के लिए इस बात पर गौर किया जाए कि यह सुनिश्चित करना निविदाकर्ता का उत्तरदायित्व है कि निविदाएं इस कार्यालय में निर्धारित तारीख से पहले पहुंच जाएं। देर से मिलने वाली निविदाओं को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

13. केवल उन्हीं फर्मों की निविदाओं पर विचार किया जाएगा जो इस दस्तावेज में निर्धारित सभी अपेक्षाओं/शर्तों को पूरा करती हों। निविदा दस्तावेजों में सभी परिवर्धन तथा संशोधन निविदा दस्तावेज हस्ताक्षरित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने हस्ताक्षर तथा तारीख के साथ विधिवत प्रमाणित होने अनिवार्य हैं। निविदा दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों में ओवर राइटिंग की अनुमति नहीं है।

14. निविदाकर्ताओं द्वारा अनुबंध - VI के अनुसार एक वचनबद्धता दी जानी अपेक्षित है।

15. यदि कोई फर्म केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को पहले ही भाड़े पर वाहन उपलब्ध करा रही हो, तो उसका ब्यौरा भी कोटेशन के साथ प्रस्तुत किया जाए।

*****

अनुबंध-II

डीएलवाई टैक्सियां उपलब्ध कराने के लिए करार/ठेका दिए जाने के लिए निबंधन एवं शर्तें

1. 2017 और उसके बाद के मॉडल की कारें जो अच्छी चालू हालत में हों और सीट कवर सहित अंदर और बाहर से साफ-सुथरी हों, उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। कारें सड़क पर चलने योग्य होने के अलावा मशीनी तौर पर अच्छी हालत में होनी चाहिएं और सभी प्रासंगिक नियमों पर खरी उतरती हों। कारें पूर्णतः सुसज्जित होनी चाहिएं और उनमें अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।
2. फर्म, किसी भी समय, जब कभी अपेक्षित हो और यहां तक कि अल्प सूचना पर भी अपेक्षित संख्या में वाहन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी। फर्म को अवकाश/रविवार के दिन भी टैक्सियां उपलब्ध कराने में समर्थ होना चाहिए। फर्म के पास 24 घंटे काम करने वाली टेलीफोन प्रणाली होनी अनिवार्य है ताकि अल्प सूचना पर भी, यदि आवश्यक हो कारें मंगवाई जा सकें। फर्म द्वारा नियोजित ड्राइवरों के पास मोबाइल फोन होने चाहिए ताकि उनसे किसी भी समय संपर्क किया जा सके।
3. "वाहन कितना चला" और "ड्यूटी के समय" के प्रयोजन हेतु किलोमीटर माइलेज की गणना ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के बिन्दु से वाहन निर्मुक्त करने के बिन्दु तक अर्थात ब्लॉक संख्या 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली से की जाएगी। ड्राइवरों को भोजन अवकाश/जलपान या ईंधन भराने के लिए किसी माइलेज की अनुमति नहीं होगी।
4. फर्म द्वारा आपूर्तित वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों, जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, गुडगांव, फरीदाबाद आदि में चलाना आवश्यक हो सकता है, इसलिए आपूर्तित वाहनों के लिए ऐसे सभी क्षेत्रों में चलाने की अनुमति होनी चाहिए।
5. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को आपूर्ति किए गए वाहनों द्वारा भाड़े के वाहन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए।
6. फर्म को कम से कम 3 सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/कारपोरेट आदि से संतोषजनक कार्यनिष्पादन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
7. यदि किसी वाहन की हालत संतोषजनक न पाई जाए तो उसे बदले जाने के लिए तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। अस्वीकार्य हालत/स्थिति में पाई गई कारों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. वाहन के खराब होने या ड्राइवर की गैर मौजूदगी की दशा में फर्म को अपनी लागत पर दूसरी कार/ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा।

9. यदि वाहन की मांग की जाए और वाहन अपेक्षित समय और स्थान पर न पहुंचे तो विभाग खुले बाजार से अन्य वाहन मंगाने के लिए स्वतंत्र होगा और इस आधार पर किये गये व्यय की कटौती लंबित बिलों/जमानत राशि में से की जाएगी।

10. भाड़े पर ली गई कारों की मरम्मत/सर्विसिंग, ड्राइवर के वेतन, ईंधन व्यय, अन्य कोई आनुसंगिक व्यय के प्रति सभी प्रभारों का वहन निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा। विभाग किसी चालान, हानि, क्षति, वाहन के साथ दुर्घटना या किसी अन्य वाहन के साथ दुर्घटना या किसी चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कार का सभी तरह का बीमा निविदाकर्ता द्वारा कराया जाएगा।

11. फर्म किसी दुर्घटना या चालान/चोट की दशा में किसी अभियोजन के लिए दायी होगी और लागू मोटर वाहन अधिनियम के किसी नियम या कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी प्रकार के अभियोजन के फलस्वरूप सभी लागतों का वहन करेगी। किसी विधिक विवाद, दुर्घटना आदि से उत्पन्न सभी देयताओं का वहन/भुगतान एजेंसी द्वारा किया जाएगा और विभाग किसी भी प्रकार से दायी नहीं होगा। फर्म वाहन, ड्राइवर और सवारी के साथ दुर्घटना के कारण सभी वित्तीय देयताओं का वहन करेगी।

12. फर्म उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में सभी विधायी अधिनियमों/उपबंधों का पालन करेगी।

13. किसी दुर्घटना (अप्रत्याशित) के मामले में, क्षति-पूर्ति तथा संबंधित व्यय चाहे जैसी भी हो, का वहन/भुगतान फर्म द्वारा किया जाएगा।

14. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग केवल भाड़े के भुगतान के लिए दायी होगा। अन्य किसी भी देयता का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

15. कार तथा ड्राइवर, जब कभी अपेक्षित हो, विभाग के अधीन रखे जाएंगे। विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों, सामान तथा अन्य सामग्री आदि लाने ले जाने के लिए भाड़े पर ली गई कारों का किसी भी प्रकार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा और एजेंसी को इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

16. फर्म द्वारा आपूर्तित वाहनों का नियमित निरीक्षण इस प्रयोजन हेतु नामित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और किन्हीं शर्तों के गैर अनुपालन, यदि ऐसा किसी प्रयोक्ता या निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा संज्ञान में लाया जाए, की दशा में अनुबंध-III में दी गई दंडात्मक अनुसूची के अनुसार प्रत्येक गलती के लिए दंड लगाया जाएगा। तथापि, यदि ऐसी चूक लगातार 3 बार पाई जाए तो अनुबंध को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। यह अनुबंध में उल्लिखित अन्य निबंधनों और शर्तों के पूर्वाग्रह के बिना होगा और कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा 1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) की राशि जब्त कर ली जाएगी।

17. **<u>ड्राइवर के पास उचित प्राधिकरण द्‌वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ड्राइवर को वर्दी में होना चाहिए तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहारिक तौर पर सुप्रशिक्षित और सुभद्र तथा समय का पाबंद होने के साथ-साथ उसे यातायात/विनियमों तथा दिल्ली तथा उसके आस-पास के इलाकों में सड़कों/रास्तों से परिचित होना चाहिए। ड्राइवरों का निवास स्थान केवल दिल्ली में होना चाहिए (एनसीआर में नहीं) ताकि उन्हें अल्प अवधि में बुलाया जा सके।</u>**

18. **<u>ड्राइवरों का चरित्र सत्यापन/उनके पूर्व चरित्र की जांच फर्म द्‌वारा स्थानीय पुलिस से करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट उनको ड्यूटी पर तैनात करने से पहले इस विभाग में प्रस्तुत की जाएगी।</u>**

19. मासिक आधार पर नियोजित वाहन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगाए जाएंगे और उनको बदला नहीं जाना चाहिए। वाहन के ड्राइवर को भी नियमित आधार पर नियोजित किया जाएगा और पूर्व सूचना के बिना उन्हें बदला नहीं जाएगा।

20. प्रत्येक ड्राइवर को प्रत्येक वाहन के संबंध में सरकारी वाहन की लॉगबुक की तरह एक लॉग रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

21. विभाग द्‌वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। फर्म द्‌वारा बिल मासिक आधार पर बनाए जाएंगे और ड्यूटी पर्चियों और लॉग बुक के साथ अगले महीने के पहले सप्ताह तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। केवल उन्हीं ड्यूटी पर्चियों के लिए भुगतान किया जाएगा जो वाहन का उपयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्‌वारा हस्ताक्षरित हों। लॉग बुक और ड्यूटी पर्चियों को विधिवत भरना और उन पर अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर दैनिक आधार पर लिया जाना ड्राइवर का उत्तरदायित्व होगा। जिन ड्यूटी पर्चियों पर हस्ताक्षर न हों उनके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ड्यूटी पर्चियां हर प्रकार से भरी हुई होनी चाहिए जैसे कि आरंभिक मीटर रीडिंग, अंतिम मीटर रीडिंग, तय की गई कुल दूरी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग से चलने के बाद लिया गया समय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में ड्यूटी की समाप्ति का समय, वे स्थान जहां-जहां गाड़ी गई आदि। बिल अधिमानी तौर पर वाहन/अधिकारी-वार हों और संबंधित अधिकारी द्‌वारा विधिवत रूप से सत्यापित हों। कोई रात्रि प्रभार देय नहीं होगा।

22. पथ कर, प्रवेश कर, सीमा पार करने के लिए अनुमति शुल्क, यदि कोई हो, पार्किंग प्रभारों का वहन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्‌वारा किया जाएगा जिसके लिए मूल रसीदें संबंधित अधिकारियों द्‌वारा सत्यापित होनी चाहिए। फर्म द्‌वारा बनाए गए बिलों पर सभी कर पंजीकरण संख्याएं मुद्रित होनी चाहिएं।

23. ठेकेदार द्‌वारा विभाग की स्पष्ट अनुमति के बिना ठेका बीच में ही छोड़ देने की दशा में वह उच्च दरों, वे अनुबंधित दरें जिन पर ठेके की शेष अवधि के दौरान वैकल्पिक साधनों के

माध्यम से अधिकारी को लाने ले जाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा व्यय किया गया हो, की वसूली के लिए दायी होगा। उस महीने के बिल की राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

24. एजेंसी द्वारा नियोजित ड्राइवरों की समयबद्धता, साफ-सफाई, आज्ञाकारिता और व्यवहार के प्रति विभाग द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि निविदाकर्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान किसी समय विभाग द्वारा यथापेक्षित कर्तव्य पालन में विफल रहता है, तो जमानत जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और ठेका मंत्रालय द्वारा बिना किसी सूचना के तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

25. फर्मों को धरोहर राशि के रूप में डीडीओ, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चैक के रूप में **50,000 रुपये** की राशि निविदाओं के साथ जमा करनी होगी। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार/उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी निदेशों के अनुसार **एमएसएमई विक्रताओं को संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन** धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट है।

26. विभाग में निविदा प्राप्त होने के बाद एजेंसी को उसे वापस लेने के अनुमति नहीं होगी। यदि एजेंसी प्रक्रिया से अपना नाम वापस लेती है या बोली की वैध अवधि के दौरान अपनी बोली में परिवर्तन करती है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि राशि जब्त कर ली जाएगी।

27. असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

28. सफल एजेंसी को डीडीओ, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के डीडीओ के नाम से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के रूप में **200,000 रु.** की कार्य निष्पादन जमानत राशि ठेके की पूरी अवधि के लिए जमा करानी होगी। जमानत राशि ठेकेदार को ठेके की अवधि पूरी होने पर ही रिफंड की जाएगी और जमानत राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

29. किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के विभाग प्रमुख का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

30. इस प्रकार दिया गया ठेका संभवतः 01.05.2019 से आरंभ होगा। इस प्रकार दिया गया ठेका निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के विभाग प्रमुख द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

31. इस अनुबंध की अवधि के दौरान उत्पन्न विधिक विवाद, यदि कोई हों, केवल दिल्ली में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे।

(अशफाक अली रिज़वानी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24360163

फा.सं. 24/2/2019-सा.प्रशा.

अनुबंध-III

दंड़ात्मक खंड

क्र.सं.	**समस्याएं**	**जुर्माना**
1.	देर से पहुंचना क) 10 मिनट तक ख) 10 से 30 मिनट के बीच ग) 30 मिनट और उससे अधिक या न आना	 क) 100.00 रुपये ख) 500.00 रुपये ग) 1000.00 रुपये उपर्युक्त सभी मामलो में संबंधित अधिकारी, तात्कालिकता पर निर्भर करते हुए, उस दिन के लिए या अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए टैक्सी भाड़े पर ले सकता है जिसके लिए भुगतान का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
2.	ड्राइवर की पोशाक/पहनावा क) अनुपयुक्त ख) बहुत अनुपयुक्त	 क) अनुपयुक्तता पर निर्भर करते हुए 500.00 रुपये से 1000.00 रुपये तक ख) ड्राइवर को वाहन सहित वापस भेज दिया जाएगा और 1000.00 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उस दिन के लिए भाड़े पर टैक्सी ली जाएगी और उसके भुगतान का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
3.	गंदा वाहन या गंदे सीट कवर	पहले दिन के लिए 100.00 रुपये लगातार दूसरे दिन या उसके बाद 500.00 रुपये प्रतिदिन
4.	एसी का खराब होना या ठीक से काम न करना	ठेकेदार को एक घंटे के समय में दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उस दिन के लिए भाड़े पर टैक्सी ली जाएगी और उसके भुगतान का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
5.	रास्ते में गाड़ी खराब होना	गंतव्य तक पहुंचने के लिए कार्यालय द्वारा भाड़े पर

		टैक्सी ली जाएगी और उसके भुगतान का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
6.	गाड़ी का बार-बार खराब होना/असंतोषजनक स्थिति	वाहन को वापस कर दिया जाएगा। भाड़े पर टैक्सी ली जाएगी और उसके भुगतान का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और इसके साथ-साथ जब तक उचित वाहन उपलब्ध न करा दिया जाए तब तक प्रतिदिन 500.00 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
7.	ड्राइवर को रास्ते की सही जानकारी न होना	ठेकेदार द्वारा ड्राइवर बदला जाएगा। यदि ठेकेदार 3 दिन के अंदर ड्राइवर नहीं बदलता तो वाहन को वापस कर दिया जाएगा और भाड़े पर टैक्सी ली जाएगी और उसके भुगतान का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और इसके साथ-साथ प्रतिदिन 500.00 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
8.	ड्राइवर का व्यवहार	अपराध की गंभीरता पर निर्भर करते हुए 500.00 रुपये से 1000.00 रुपये तक। यदि यह दुर्व्यवहार जारी रहता है तो ठेकेदार को ड्राइवर बदलना होगा। यदि ठेकेदार 03 दिन के अंदर ड्राइवर नहीं बदलता तो वाहन को वापस कर दिया जाएगा और भाड़े पर टैक्सी ली जाएगी और उसके भुगतान का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और इसके साथ-साथ प्रतिदिन 200.00 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
9.	पुराना वाहन	उपलब्ध कराया गया 2017 मॉडल से पुराना वाहन स्वीकार **नहीं** किया जाएगा।

रिज़वानी

(अशफाक अली रिज़वानी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24360163

अनुबंध-IV

मासिक आधार पर वाहन भाड़े पर लेने के लिए वित्तीय बोलियां

क्र. सं.	विवरण	मारूति वेगन आर एसी	स्विफ्ट डिज़ायर (एसी)	मारूति SX4 (एसी)	मारूति सियाज़ (एसी)
1.	प्रति सप्ताह 7 दिन के लिए निश्चित मासिक प्रभार **(2000 कि.मी. प्रति माह और 300 घंटे प्रति माह)**				
2.	2000 कि.मी. प्रति माह की सीमा से अधिक किलोमीटरों के लिए प्रभार				
3.	300 घंटे प्रति माह की सीमा से अधिक घंटो के लिए प्रभार				

यह प्रमाणित किया जाता है कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सभी निबंधन और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

(हस्ताक्षर)
फर्म का नाम और पता
मुहर

फा.सं. 24/2/2019-सा.प्रशा.

अनुबंध-V

दैनिक आधार पर वाहन भाड़े पर लेने के लिए वित्तीय बोलियां

क्र.सं.	विवरण	मारूति वेगन आर (एसी)	स्विफ्ट डिज़ायर (एसी)	मारूति SX4 (एसी)	फोर्ड आईकन (एसी)
1.	पूरा दिन 100 कि.मी. और 10 घंटे				
2.	आधा दिन 50 कि.मी. और 5 घंटे				
3.	दैनिक आधार पर भाड़े के लिए अतिरिक्त किलोमीटरों के लिए प्रभार				
4.	दैनिक आधार पर भाड़े के लिए अतिरिक्त घंटों के लिए प्रभार				

यह प्रमाणित किया जाता है कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सभी निबंधन और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

(हस्ताक्षर)

फर्म का नाम और पता

फा.सं. 24/2/2019-सा.प्रशा.

अनुबंध-VI

1. मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती .... जो उपर्युक्त एजेंसी/फर्म का मालिक/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ, इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए सक्षम हूँ।

2. मैंने निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को स्टाफ कार उपलब्ध कराने हेतु निविदा के सभी निबंधनों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ।

3. उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और प्रमाणिक हैं। मैं/हम इस तथ्य से भली-भांति अवगत हूँ/हैं कि कोई गलत जानकारी/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप मेरी/हमारी निविदा किसी भी चरण पर अस्वीकार की जा सकती है और उसके साथ-साथ उपयुक्त विधि के अंतर्गत अभियोजन भी चलाया जा सकता है।

4. हमारी एजेंसी/फर्म को किसी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम : ....

मोहर : ....

दिनांक :

स्थान :

फा.सं. 24/2/2019-सा.प्रशा.

अनुबंध-VII

वाहन भाड़े पर लेने के लिए तकनीकी बोली हेतु मदों की सूची

1. डीडीओ, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफट/पे आर्डर/बैंकर्स चैक के रूप में **50,000 रुपये** की धरोहर राशि। सरकारी निदेशों के अनुसार एमएसएमई विक्रताओं को संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट है।

2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति, जिसके अनुसार टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।

3. टीआईएन/पैन नं. और वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां।

4. कम से कम 3 सरकारी मंत्रालयों/विभागों/पीएसयूस में टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने के अनुभव का प्रमाण।

5. कम से कम 3 सरकारी मंत्रालयों/विभागों/पीएसयूस/कारपोरेट आदि में संतोषजनक कार्यनिष्पादन का प्रमाणपत्र ।

6. निबंधनों और शर्तों तथा अनुबंध-VI की हस्ताक्षरित प्रतियां।